इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 452] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 4 अक्टूबर 2011—आश्विन 12, शक 1933

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 4 अक्टूबर 2011

क्र. एफ (ए) 3-33-2011-1-पांच (76).—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मेसर्स अभिषेक ग्लोबल बेंचर्स लिमिटेड के ट्राईडेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के साथ समामेलन के लिए प्रबंध योजना को स्वीकार करने संबंधी पंजाब एवं हरयाणा उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 18-1-2011 पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान करती है और इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.ए.-3-28-08-1-पांच, दिनांक 7 जुलाई, 2009 में इसके जारी होने के दिनांक से भूतलक्षी प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, शर्त क्रमांक (3), (4) और (5) का लोप किया जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 4 अक्टूबर 2011

क्र. एफ (ए) 3-33-2011-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए 3-33-2011-1-पांच, (76), दिनांक 4 अक्टूबर 2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 4th October 2011

F-A-3-33-2011-1-V-(76).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. II of 1899), the State Government, hereby, remits the stamp duty chargeable on the order dated 18-1-2011 of Punjab and Haryana High Court relating to the sanction of scheme of arrangement for amalgamation of M/s Abhishek Global Ventures Limited with Trident Corporation Limited and makes the following amendment retrospectively in this department's Notification No. F.A-3-28-8-1-V, dated 7th July, 2009 from the date of its issuance namely:—

AMENDMENT

In the said notification,condition numbers (3), (4) and (5) shall be omitted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. YADAV, Addl. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011